जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2025/ दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 206वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 को सायं 05:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण **परिशिष्ठ 'अ'** ij layXu gSA cSBd esa fopkj foe'kZ i'pkr~ fuEukafdr fu.kZ; fy;s x;s%&

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	**206:1**	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 205वीं बैठक दिनांक 30.12.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 205वीं बैठक दिनांक 30.12.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	1	**206:2**	जविप्रा की योजना झालाना संस्थानिक क्षेत्र में स्थित राजस्थान इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर के समीप स्थित भूखण्ड संख्या बी–3 एवं बी–4 कुल क्षेत्रफल 3000 व.मी. का पूर्व में किये गये आवंटन के निर्णय को निरस्त करते हुए पार्किंग हेतु उक्त भूखण्डो को निर्धारित/आरक्षित किये जाने के संबंध में।	जविप्रा की योजना झालाना संस्थानिक क्षेत्र में स्थित राजस्थान इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर के समीप स्थित भूखण्ड संख्या बी–3 एवं बी–4 कुल क्षेत्रफल 3000 व.मी. का एलपीसी द्वारा पूर्व में किये गये आवंटन के निर्णय को विड्रा किये जाते हुये राज्य सरकार को इस आशय की सूचना प्रेषित की जाये तथा यथा प्रस्तावित इस भूमि पर पार्किंग की समस्या को देखते हुए भविष्य की आवश्यकता के मध्येनजर प्रस्तावित भूखण्डों को पार्किंग परिसर तैयार किये जाने हेतु आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
3.	4	**206:3**	राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के परिसर हेतु ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 199, 200 एवं 201 में से क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर का आवंटन बाबत।	राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के परिसर हेतु ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 199, 200 एवं 201 में से क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटन हेतु जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेख अनुसार उक्त भूमि का उपयोग सुविधा क्षेत्र (एण्डयूज–पार्क) अनुमोदित होने के कारण तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (गुलाब कोठारी एवं अन्य प्रकरण) के परिपेक्ष्य में इस भूखण्ड के आवंटन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान जोन द्वारा इसी योजना में भूखण्ड संख्या 8–ए जोकि लगभग 1392.57 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है तथा मौके पर रिक्त है। इस भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व में कोई प्रस्ताव तैयार किये गये हो अथवा प्रस्तावित किये गये है तो पूर्व प्रेषित प्रस्ताव को विड्रा किये जाने की सूचना राज्य सरकार को भिजवा दी जायें तथा इस भूखण्ड को पुलिस आवासन तथा निर्माण

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 16:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				निगम लिमिटेड के कार्यालय परिसर हेतु आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर आगामी एल.पी.सी. की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।
4.	8	**206:4**	निजी खातेदारी की आवासीय योजना गणेश नगर के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1015.00 व.मी. भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन को आवंटन करने बाबत।	अधीक्षण अभियंता (ज.न.वृ.दक्षिण) जयपुर डिस्कोम द्वारा 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु चाहे गये भूमि आवंटन के प्रकरण मे यथा प्रस्तावित निजी खातेदारी की आवासीय योजना गणेश नगर के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1015.00 व.मी. भूमि पब्लिक यूटिलिटी के तौर पर आवंटन आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन की अभिशषा के साथ प्रकरण भू आवंटन नीति–2015 के क्रम में स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। प्राप्त प्रकरण के साथ श्री गणेश नगर जन सहयोग विकास समिति द्वारा प्रस्तुत आप्पति पर विचार–विमर्श पश्चात् आवश्यक एवं व्यापक जन सुविधाओं के विकास को दृष्टिगत रखते हुए आप्पति खारिज की गई।
5.	9	**206:5**	अखिल भारतीय हरियाणा गौड ब्राह्म्ण महासभा, जयपुर को बालिका छात्रावास हेतु जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा में भूखण्ड संख्या 29 क्षेत्रफल 3437.06 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	अखिल भारतीय हरियाणा गौड ब्राह्म्ण महासभा, जयपुर को बालिका छात्रावास हेतु जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा में भूखण्ड संख्या 29 क्षेत्रफल 3437.06 वर्गमीटर भूमि के आवंटन के प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श बाद निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की भू आवंटन नीति–2015 के प्रावधान के अनुसार जविप्रा की विकसित संस्थानिक योजना मे आवंटन किये जाने के कारण आवसीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। छात्रावास हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का आवंटन मांगा जाने के निर्णय की स्वीकृति एवं लेय दर पर निर्णय हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है।
6.	9	**206:6**	निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस बी ब्लॉक के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या बी–222ए क्षेत्रफल 158.26 वर्ग गज का मौका अनुसार भूमि आवंटन बाबत।	निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस बी ब्लॉक के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या बी–222ए के क्षेत्रफल में मौके पर बढ़ रही 158.26 वर्ग गज भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श पश्चात निर्णय किया गया कि जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेख नही किया गया है कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल साथ लगती हुयी Other's Land की योजना का भाग तो नही है। अतः इस क्षेत्र का पटवारी से सर्वे कराया जाकर स्पष्ट स्थिति होने की दशा में ही भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधान अनुसार 100 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण राज्य सरकार को आरक्षित दर ... प्रस्ताव

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 1?:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				तैयार कर प्रेषित किया जाये।
7.	9	**206:7**	जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या सी–153 क्षेत्रफल 45.00 व.मी. के बदले जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी–350, बी–572 व बी–489 प्रत्येक क्षेत्रफल 45.00 व.मी. में से कोई 01 भूखण्ड जरिये लॉटरी आवंटन बाबत।	जोन द्वारा समिति के सम्मुख विचार–विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि भूखण्ड संख्या सी–153 योजना के क्रियेशन के दौरान नक्शें में उल्लेख से रह गया है। अतः वस्तुस्थिति पर विचार उपरान्त यथा प्रस्तावित रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या सी–153 क्षेत्रफल 45.00 व.मी. के बदले जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी–350, बी–572 व बी–489 प्रत्येक क्षेत्रफल 45.00 व.मी. में से 01 भूखण्ड जरिये लॉटरी श्री दीनदयाल पुत्र स्व. श्री सीरूमल गनवानी को आवंटित किये जाने निर्णय किया गया।
8.	9	**206:8**	मारवाडी इन्टरनेशनल फेडरेशन को फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हेतु जयपुर शहर में निःशुल्क या विशेष रियायती दर पर 4000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	मारवाडी इन्टरनेशनल फेडरेशन को फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना सिरोली–दाँतली मे संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–1 क्षेत्रफल 13037.64 व.मी. मे से 4000 व.मी. भूमि पीडब्ल्यूसी बैठक मे उपविभाजन के निर्णय की कार्यात्तर की प्रत्याशा मे आवंटन के प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श बाद निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की भू आवंटन नीति–2015 के प्रावधान के अनुसार जविप्रा की उक्त संस्थानिक योजना मे आवंटन किये जाने के कारण आवसीय आरक्षित दर का 120 प्रतिशत लिया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा आवंटन निःशुल्क अथवा विशेष रियायती दर पर चाहा गया है, अतः आवंटन किये जाने के निर्णय की स्वीकृति एवं लेय दर पर निर्णय हेतु पी. डब्ल्यू.सी. में निर्णय उपरान्त प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
9.	9	**206:9**	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 131 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 80.18 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 131 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 80.18 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल भूखण्ड संख्या 124, 125 के भूखण्डों के साथ भी लगता हुआ है, जिस कारण भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधान अनुसार बढ़े हुये क्षेत्रफल के एक से अधिक दावेदार होने की दशा में नीलामी के माध्यम से ही निस्तारण किया जा सकता है। अतः इन भूखण्डधारियों को भी बढ़े हुये क्षेत्रफल के लिये आवेदन किये जाने सम्बन्धी नोटिस जारी किया जाये, नोटिस जारी करने के 1 माह की अवधि में उनका कोई आवेदन प्राप्त नही होने की दशा में अथवा भूखण्ड संख्या 124, 125 आवंटियों से

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 15:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

				NOC प्रस्तुत की जाने की स्थिति में प्रकरण पुन : एलपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। साथ ही प्राप्त प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्तुत मानचित्रानुसार भूखण्ड संख्या 130 के साथ भी बढ़ा हुआ क्षेत्रफल प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में मौके पर सर्वे कराया जाकर सम्बन्धित को नोटिस के आधार पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हेतु आवेदन प्राप्त किया जाये।
10.	9	**206:10**	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 132 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 82.48 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 132 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 82.48 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल भूखण्ड संख्या 124 के साथ भी लगता हुआ है जिस कारण भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधान अनुसार बढ़े हुये क्षेत्रफल के एक से अधिक दावेदार होने की दशा में नीलामी के माध्यम से ही निस्तारण किया जा सकता है। अतः इस भूखण्डधारी को भी बढ़े हुये क्षेत्रफल के लिये आवेदन किये जाने सम्बन्धी नोटिस जारी किया जाये, नोटिस जारी करने के 1 माह की अवधि में उनका कोई आवेदन प्राप्त नही होने की दशा में अथवा भूखण्ड संख्या 124 के आवंटी से NOC प्रस्तुत की जाने की स्थिति में प्रकरण पुनः एलपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
11.	9	**206:11**	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 133 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 80.42 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 133 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 80.42 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल भूखण्ड संख्या 123, 124 के भूखण्डों के साथ भी लगता हुआ है, जिस कारण भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधान अनुसार बढ़े हुये क्षेत्रफल के एक से अधिक दावेदार होने की दशा में नीलामी के माध्यम से ही निस्तारण किया जा सकता है। अतः इन भूखण्डधारियों को भी बढ़े हुये क्षेत्रफल के लिये आवेदन किये जाने सम्बन्धी नोटिस जारी किया जाये, नोटिस जारी करने के 1 माह की अवधि में उनका कोई आवेदन प्राप्त नही होने की दशा में अथवा भूखण्ड संख्या 123, 124 के आवंटियों से NOC प्रस्तुत की जाने की स्थिति में प्रकरण पुन : एलपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
12.	9	**206:12**	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 1[illegible]:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

			पार्क के भूखण्ड संख्या 134 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 75.12 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	संख्या 134 क्षेत्रफल 500 व.ग. (418.06 व.मी.) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 75.12 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल भूखण्ड संख्या 123 के साथ भी लगता हुआ है, जिस कारण भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधान अनुसार बढ़े हुये क्षेत्रफल के एक से अधिक दावेदार होने की दशा में नीलामी के माध्यम से ही निस्तारण किया जा सकता है। अतः इस भूखण्डधारी को भी बढ़े हुये क्षेत्रफल के लिये आवेदन किये जाने सम्बन्धी नोटिस जारी किया जाये। नोटिस जारी करने के 1 माह की अवधि में उनका कोई आवेदन प्राप्त नही होने की दशा में अथवा भूखण्ड संख्या 123 के आवंटी से NOC प्रस्तुत की जाने की स्थिति में प्रकरण पुनः एलपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। साथ ही प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत मानचित्रानुसार पड़ौस के भूखण्ड संख्या 135, 136 के साथ ही बढ़ा हुआ क्षेत्रफल होना प्रतीत होता है, अतः इसके सम्बन्ध में मौके पर सर्वे करवाया जाकर सम्बन्धित सै नोटिस के आधार पर बढ़े हुये क्षेत्रफल हेतु आवेदन प्राप्त किया जावे।
13.	9	**206:13**	लघु उद्योग भारती संस्था को कृषि कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा में संस्थानिक भूखण्ड संख्या 12 व 14 क्षेत्रफल 7369.44 व.मी. भूमि का आवंटन कराने बाबत।	लघु उद्योग भारती संस्था को कृषि कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा में संस्थानिक भूखण्ड संख्या 12 व 14 क्षेत्रफल 7369.44 व.मी. भूमि के आवंटन सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधानानुसार चाहा गया क्षेत्रफल अधिक होने एवं संस्था द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटन चाहे जाने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति एवं दर/शिथिलन हेतु प्रेषित किया जाये।
14.	9	**206:14**	भूखण्ड संख्या बी–540 क्षेत्रफल 45.00 व.मी. जविप्रा योजना रामनगरिया विस्तार के बदले विनिमय में भूखण्ड संख्या बी–240 क्षेत्रफल 45.00 व.मी. का भूखण्ड आवंटन बाबत।	भूखण्ड संख्या बी–540 क्षेत्रफल 45.00 व.मी. जविप्रा योजना रामनगरिया विस्तार के बदले विनिमय में भूखण्ड संख्या बी–240 क्षेत्रफल 45.00 व.मी. का भूखण्ड आवंटन किये जाने के प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन द्वारा अवगत कराया गया कि भूखण्ड संख्या बी–240 पूर्व में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री नानगराम को जारी किया गया था जिस पर अतिक्रमण की दशा में विनिमय के आधार पर भूखण्ड संख्या बी–540 आवंटित किया गया, जोकि पहले से ही विनिमय में किसी अन्य को आवंटित [illegible] से प्राप्त

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 1[illegible]:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

				प्रस्ताव एवं उपायुक्त द्वारा बैठक में अवगत कराये अनुसार बी–240 जोकि वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त होने के आधार पर भूखण्ड के वर्तमान क्रेता श्री नैनूराम शर्मा पुत्र श्री प्रभु नारायण शर्मा का उनके द्वारा इस भूखण्ड के मूल आवंटी से इसे क्रय करने के कारण भूखण्ड संख्या बी–240 योजना रामनगरिया विस्तार पुनः आवंटित किया जाता है। साथ ही इस भूखण्ड के विनिमय के आधार पर किया गया भू.सं. बी–540 योजना रामनगरिया विस्तार का आवंटन खारिज किया जाता है।
15.	9	**206:15**	जविप्रा की योजना सैन्ट्रल स्पाईन के भूखण्ड संख्या ए–178, क्षेत्रफल 390.00 व.मी. का मानचित्र अनुसार बढे हुए क्षेत्रफल 64.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	जविप्रा की योजना सैन्ट्रल स्पाईन के भूखण्ड संख्या ए–178, क्षेत्रफल 390.00 व.मी. का मानचित्र अनुसार बढे हुए क्षेत्रफल 64.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाकर भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधानानुसार आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी दर पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल प्रार्थी श्री छाजुराम, श्री नारायण पुत्रान श्री हजारी लाल के नाम आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
16.	12	**206:16**	जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार के भूखण्ड संख्या डी–243 व डी–249 क्षेत्रफल क्रमशः 90.00 व.मी. के स्थान पर जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार के डी ब्लॉक के (भूखण्ड संख्या डी–156 क्षेत्रफल 310.49 व.मी. व भूखण्ड संख्या डी–156ए व डी–156बी क्षेत्रफल क्रमशः 90.00 व.मी.) विनिमय में देने बाबत।	जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार के भूखण्ड संख्या डी–243 व डी–249 क्षेत्रफल क्रमशः 90.00 व.मी. के स्थान पर जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार के डी ब्लॉक के (भूखण्ड संख्या डी–156 क्षेत्रफल 310.49 व.मी. व भूखण्ड संख्या डी–156ए व डी–156बी क्षेत्रफल क्रमशः 90.00 व.मी) विनिमय में देने बाबत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया– रघुनाथ विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या डी–243 व डी–249 के प्रकरण में जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय अपीलीय अधिकरण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड संख्या डी–243 व डी–249 का डिमार्केशन कर कब्जा दिये जाने का निर्णय दिया गया है, समिति द्वारा इन भूखण्डों की गुगल मानचित्र में वस्तुस्थिति देखी जाने पर यह भूखण्ड वर्तमान में खाली होना परिलक्षित हुआ। अतः निर्णय लिया गया कि अगर इनका पूर्व में जिला कलेक्टर के द्वारा कोई आवंटन हुआ भी है तो भी वर्तमान में भूखण्ड खाली ही होने के कारण आवंटन को निरस्त करवाया जाये तथा प्रार्थी को यह भूखण्ड दिया जाये।
17.	12	**206:17**	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड–द्वितीय (उत्तर) जयपुर को	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को निजी [illegible] तहसील

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 1[illegible]:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

			निजी खातेदारी योजना ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर में स्थित मंगलम बालाजी सिटी में आरक्षित सुविधा क्षेत्र, क्षेत्रफल 4162.06 व.मी. भूमि में 900.00 व.मी. भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन बाबत।	जयपुर में स्थित मंगलम बालाजी सिटी में आरक्षित सुविधा क्षेत्र, क्षेत्रफल 4162.06 व.मी. भूमि में 900.00 व.मी. भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन बाबत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रस्ताव अनुसार 900 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
18.	13	**206:18**	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के आवंटित कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–141 (आवंटन पत्र अनुसार क्षेत्रफल 315.00 व.मी.) का योजना मानचित्र व मौका अनुसार 97.98 व. मी. बढा हुआ होने के कारण विनिमय में योजना के भूखण्ड संख्या सी–450, सी–452 से सी–454 (क्षेत्रफल 315.00 व.मी. प्रत्येक) में से लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	कल्पना नगर के आवंटित कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–141 (क्षेत्रफल 315.00 व.मी) का योजना मानचित्र व मौका अनुसार 97.98 व.मी. बढा हुआ होने के कारण उपायुक्त जोन द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटी बढ़े हुये क्षेत्रफल का आवंटन नही चाहता है। यह भी कि पूर्व आवंटित भूखण्ड तथा प्रस्तावित विनिमय भूखण्डो की आरक्षित दर भी समान है। ऐसी दशा में आवंटी को विनिमय में योजना के भूखण्ड संख्या सी–450, सी–452 से सी–454 (क्षेत्रफल 315.00 व.मी. प्रत्येक) में से लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
19.	13	**206:19**	जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्ड संख्या ए–2/249 क्षेत्रफल 240.00 व.मी. के स्थान पर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/251, ए–2/253, ए–2/248, ए–2/245, ए–2/196 (प्रत्येक का क्षेत्रफल 240.00 व.मी.) में से विनिमय में लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्ड संख्या ए–2/249 क्षेत्रफल 240.00 व.मी. के स्थान पर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/251, ए–2/253, ए–2/248, ए–2/245, ए–2/196 (प्रत्येक का क्षेत्रफल 240.00 व.मी.) में से विनिमय में लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटन करने बाबत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा विनिमय के आधार पर दिये जाने वाले भूखण्डों के रिक्त होने की सुनिश्चितता के पश्चात लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व. श्री गणेश लाल को आवंटित किया जावे।
20.	14	**206:20**	जविप्रा की रिंग रोड परियोजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/ओ.जे./118 क्षेत्रफल 200.00 व.मी. पर मौके पर मंदिर निर्मित होने के कारण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिमय द्वारा रिंग रोड परियोजना में समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	जविप्रा की रिंग रोड परियोजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/ओ.जे./118 क्षेत्रफल 200.00 व.मी. पर मौके पर जोन उपायुक्त द्वारा बताये गये लोकदेवता का मंदिर निर्मित होने के कारण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिमय द्वारा रिंग रोड परियोजना में समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा विनिमय के आधार पर प्रस्ताव अनुसार दिये जाने वाले भूखण्ड संख्या 14/ओ.जे./118 क्षेत्रफल 200.00 व.मी. के रिक्त होने की सुनिश्चितता के पश्चात लॉटरी के माध्यम से एक [illegible] जरिये

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 1[illegible]:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

				निदेशक श्री कमल किशोर वैद पुत्र स्व. श्री केसर चंद वैद को आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
21.	PRN (South-1)	**206:21**	जोन पीआरएन दक्षिण–द्वितीय में स्थित राजस्व ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नं. 299 (जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD) में 50.00 (5X10) मीटर भूमि 26.49'51.47"N 75.46'22.94"E के अस्थाई आवंटन करने बाबत। उपायुक्त जोन पीआरएन दक्षिण–द्वितीय के क्षेत्राधिकार में स्थित राजस्व ग्राम नंदकिशोर पुरा उर्फ मान्यावास नं. 409 (वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD) में 50.00 (5X10) मीटर भूमि 26.51'36.50"N 75.45'19.45"E के अस्थाई आवंटन करने बाबत।	जोन पीआरएन दक्षिण–द्वितीय में स्थित राजस्व ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नं. 299 तथा राजस्व ग्राम नंदकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास के खसरा नम्बर 409 दोनो (जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD) में 50.00 (5X10) मीटर भूमि का टोरन्ट गैस जयपुर प्रा.लि. को प्रस्ताव अनुसार अस्थाई आवंटन करने बाबत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि– नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.11.2021 के क्रम में प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेखित भूमि को वार्षिक किराये पर दिये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड का वार्षिक किराया आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत देय होगा साथ ही कम्पनी द्वारा 3 वर्ष का किराया एकमुश्त जमा कराया जायेगा। उपायुक्त जोन द्वारा अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त शहर, जयपुर का पत्र प्रस्तुत किया गया (जो कि टोरेन्ट गैस जयपुर प्रा.लि. के प्रतिनिधी को लिखा गया है) के अनुसार जयपुर शहर की सड़कों के निर्माण/मरम्मत का कार्य वृत्त शहर जयपुर द्वारा सम्पादित नही किया जाता है उक्त कार्य नगर निगम जयपुर एवं जविप्रा द्वारा सम्पादित किये जाने के कारण चाही गयी स्वीकृति उन्ही विभागों द्वारा जारी किया जाना उल्लेखित किया गया है। जोन स्तर से भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से जविप्रा द्वारा टोरन्ट गैस जयपुर प्रा.लि. को उद्वेश्य अनुसार अस्थायी आवंटन बाबत पक्ष ले लिया जावे। सार्वजनिक निर्माण विभाग से जोन को इसी आशय का अभिमत/पक्ष प्राप्त होने उपरान्त निर्णय अनुसार आदेश जारी किया जावे।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से अतिरिक्त एजेण्डा

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	07	206:22	राजस्व ग्राम साल्यावास के खसरा नम्बर 59(जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभगा PWD) में 50.00 (5X10) मीटर भूमि 26.49'51.56"N 75.46'21.91 "E के अस्थायी आवंटन करने बाबत	राजस्व ग्राम साल्यावास के खसरा नम्बर 59(जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD) में 50.00 (5X10) मीटर भूमि का टोरेन्ट गैस जयपुर प्रा.लि. को प्रस्ताव अनुसार अस्थायी आवंटन करने बाबत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि–

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 15:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

			।	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.11.2021 के क्रम में प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेखित भूमि को वार्षिक किराये पर दिये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड का वार्षिक किराया आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत देय होगा साथ ही कम्पनी द्वारा 3 वर्ष का किराया एकमुश्त जमा कराया जायेगा। उपायुक्त जोन द्वारा अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त शहर, जयपुर का पत्र प्रस्तुत किया गया (जो कि टोरेन्ट गैस जयपुर प्रा.लि. के प्रतिनिधी को लिखा गया है) के अनुसार जयपुर शहर की सड़कों के निर्माण/मरम्मत का कार्य वृत्त शहर जयपुर द्वारा सम्पादित नही किया जाता है उक्त कार्य नगर निगम जयपुर एवं जविप्रा द्वारा सम्पादित किये जाने के कारण चाही गयी स्वीकृति उन्ही विभागों द्वारा जारी किया जाना उल्लेखित किया गया है। जोन स्तर से भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से जविप्रा द्वारा टोरन्ट गैस जयपुर प्रा.लि. को उद्धेश्य अनुसार अस्थायी आवंटन बाबत पक्ष ले लिया जावे। सार्वजनिक निर्माण विभाग से जोन को इसी आशय का अभिमत/पक्ष प्राप्त होने उपरान्त निर्णय अनुसार आदेश जारी किया जावे।

नोटः— उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संख्या 206:21 एवं 206:22 में लिये गये निर्णय अनुसार सभी जोन उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि उनके जोन में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की ऐसी सड़कें जिनका संधारण/मरम्मत जविप्रा द्वारा किया जा रहा है, की उपलब्ध यूटिलिटी भूमि में टोरेन्ट गैस जयपुर प्रा.लि. द्वारा आवेदन किये जाने पर उनमें भी उपरोक्त निर्णय अनुसार वार्षिक किराये के आधार पर अस्थायी रूप से भूमि उपलब्ध करवायी जावे।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी—I, II/नगर—आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन—1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर—प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण—प्रथम व द्वितीय)।

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 1[illegible]:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567

11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.01.30 1[illegible]:57:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13293567